

18

अंचल अधिकारी श्री. वि. सु. सु. का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 203 (VIII) 2018-19.

वाद का प्रकार- विवाद (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(क) के तहत जमीन एवं कार्रवाई से संबंधित।

2.4.18

आरक्षण सरकार के आदेश-2014/100 दिनांक-13.08.2014  
सहायक-श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-उपनि-सह-विशेष अधिकारी राज्य एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-आरक्षण/विधि-110/20/2018/100 दिनांक 03.08.2018 एवं सह-प्रतिता राज्य विभागीय अधिकारी संख्या-214/100 दिनांक-03.12.2018 के अधिनियम निदेश के अनुपालन में गैरराजस्व प्राप्त भूमि को कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हस्ता राज्य कर्मचारी एवं अधिभार अधिकारी द्वारा किया गया है कि विभागीय विभागों की भूमि -

बीजा- 203-19 आरक्षण- 188 आरक्षण संख्या- 119 जारी संख्या-  
रकबा- 5.6.58 एकड़ की भूमि को गैरराजस्व प्राप्त, आरक्षण विभाग (आरक्षण) सरकार के आदेश की कार्रवाई भूमि है। जमाबंदी जमाबंदी उक्त बीजा के धार-11 के तहत संख्या- 203 के तहत संख्या- 203 पर जमाबंदी प्राप्त 300 रुपये के नाम से कायम है।

हस्ता कर्मचारी एवं अधिभार अधिकारी द्वारा जमाबंदी का व्यक्तिगत अधिकारी की भूमि को विवाद कायम जमाबंदी को अधिनियम अधिनियम किया गया है।

हस्ता कर्मचारी एवं अधिभार अधिकारी द्वारा संप्रति जमा अधिनियम के अधिनियम होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी जमा सहाय अधिकारी के आदेश के/ अधिभार कर्मचारी के आधार पर/ अधिभार कर्मचारी के अधिनियम पर/ अधिभार सहाय अधिकारी के आधार पर/ सहाय अधिकारी के आधार पर कायम की गयी है, जिसका अधिनियम अधिनियम एवं राज्य को धरि कार्रवाई करना है।

प्रधान दृष्टि उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी की जमाबंदी को संप्रति जमाबंदी अधिनियम अधिनियम है, जिसका विभाग (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(क) के तहत जमीन जमाबंदी प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी जमा को अधिनियम अधिनियम का उपर्युक्त भू-उपनि के संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की धारा को सभी जमाबंदी कायम-पुष्टा की, कि नहीं नहीं उक्त जमाबंदी को अधिनियम अधिनियम द्वारा इसे विभाग (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(क) के तहत सहाय अधिकारी को नष्ट करने हेतु अनुमति दिया जाय।

अभिलेख दिनांक- 11.4.18 को उपस्थापित की।

लेखापिता एवं संसाधित  
अंचल अधिकारी

11/4/18  
अंचल अधिकारी

दिनांक

आदेश फलक

अभियुक्ति

11.4.18.

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की प्रति एवं अन्य राजस्व दस्तावेजो की प्रति समर्पित किया है/नहीं किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

अभिलेख दिनांक 16.4.18. को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर

16.4.18.

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया है, कि उपर्युक्त भू-खण्ड गैर आबाद खाता की है। मौजा सोमनदीह थाना सं० 188, खत 19, प्लॉट सं० \_\_\_\_\_ कुल रकबा- 5.65, जो जमाबंदी संख्या- 26, में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज को लगान रसीद समर्पित है। वर्णित जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं०- 26, को रद्द करने हेतु जाँच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशसित जाँच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर